संख्या-738/2017/1354/22-2-2017-17(479)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 अगस्त, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूल्ला, निवासी जनपद-बस्ती की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-16050-185/प्रोबेशन-3(एम 02.05.2017) दिनांक-18.05.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र दिनांक 18.05.2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूल्ला, ग्राम-बिलबरिया, थाना-पैकुइया, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी ने परिचित रियाजुद्दीन के पुत्र जीशान उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर रूपये-50,000/-फिरौती मांगी। दिनांक 27.05.1999 को करीब 12.30 बजे मेरठ स्टेशन से अभियुक्त को पान की दुकान पर बच्चे के साथ मौके पर पकड लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-987/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कोर्ट नं0-19, मेरठ के आदेश दिनांक 05.03.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2017 तक 17 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने परिचित रियाजुद्दीन के पुत्र जीशान उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर रूपये-50,000/-फिरौती मांगी। दिनांक 27.05.1999 को करीब 12.30 बजे मेरठ स्टेशन से अभियुक्त को पान की दुकान पर बच्चे के साथ मौके पर पकड लिया। इस प्रकार बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूल्ला, निवासी जनपद-बस्ती को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी कमरूद्दीन (बन्दी संख्या-6529) पुत्र श्री खैरूल्ला, निवासी जनपद-बस्ती के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-738/2017/1354(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बस्ती।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-738/2017/1354/22-2-2017-17(479)/2017

दिनांक 30 अगस्त, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध कमरूद्दीन (बन्दी संख्या-6529) पुत्र श्री खैरूल्ला, ग्राम-बिलबरिया, थाना-पैकुइया, जनपद-बस्ती का निवासी है। बन्दी ने परिचित रियाजुद्दीन के पुत्र जीशान उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर रूपये-50,000/-फिरौती मांगी। दिनांक 27.05.1999 को करीब 12.30 बजे मेरठ स्टेशन से अभियुक्त को पान की दुकान पर बच्चे के साथ मौके पर पकड लिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-987/1999 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-364ए के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नं0-19, मेरठ के आदेश दिनांक 05.03.2001 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.04.2017 तक 17 वर्ष 10 माह 15 दिन की अपरिहार तथा 22 वर्ष 11 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण अच्छा है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड द्वारा अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने परिचित रियाजुद्दीन के पुत्र जीशान उम्र 04 वर्ष का अपहरण कर रूपये-50,000/-फिरौती मांगी। दिनांक 27.05.1999 को करीब 12.30 बजे मेरठ स्टेशन से अभियुक्त को पान की दुकान पर बच्चे के साथ मौके पर पकड लिया। इस प्रकार बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध के दृष्टिगत जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की पुष्टि पुलिस अधीक्षक, जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जनपदीय अधिकारियों द्वारा समयपूर्व रिहाई का किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी कमरूद्दीन पुत्र श्री खैरूल्ला, निवासी जनपद-बस्ती को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।